कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर।

पत्र संख्या: 846का0क्षे0 / 333का0क्षे0 / भवन / 17 दिनाँक: 2 .02.2018

सेवा में,
जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद।

विषयः— जनपद फर्रूखाबाद में फतेहगढ़—गुरसहायगंज मार्ग (एस0एच0—29ए) के कि0मी0 8.00 चैनेज 150.00 से 186.00 में बांयी तरफ खसरा सं0 634 मि0, ग्राम भूलनपुर चिरपुरा, तहसील सदर, जिला फर्रूखाबाद में मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सदर्भः जिलापूर्ति अधिकारी, कन्नौज का पत्रांक 207 / जे0ए0—बीस—वि0(अ0प्र0पत्र—7) दिनांक 21.09.2017

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में फतेहगढ़—गुरसहायगंज मार्ग (एस0एच0—29ए) के कि0मी0 8.00 चैनेज 150.00 से 186.00 में बांयी तरफ खसरा सं0 634 मि0, ग्राम भूलनपुर चिरपुरा, तहसील सदर, जिला फर्रूखाबाद में मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर निम्न शर्तो के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अतः प्रश्नगत उक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिये आपकी संस्तुति तथा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ सहमति प्रदान की जाती हैः—

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापना जनपद फर्रूखाबाद में फतेहगढ़—गुरसहायगंज मार्ग (एस0एच0—29ए) के कि0मी0 8.00 चैनेज 150.00 से 186.00 में बांयी तरफ खसरा सं0 634 मि0, ग्राम भूलनपुर चिरपुरा, तहसील सदर, जिला फर्रूखाबाद में प्रस्तावित है।
2. रिटेल आउटलेट हेतु निर्माण कार्य जनपद फर्रूखाबाद में फतेहगढ़—गुरसहायगंज मार्ग (एस0एच0—29ए) के कि0मी0 8.00 चैनेज 150.00 से 186.00 में बांयी ओर पड़ेगा।
3. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
4. यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल 1964 के नियम 7 के अनुसार आवेदक को प्रस्तावित निर्माण एवं रिटेल आउटलेट लगाने की अनुमति सड़क के मध्य से 22.86 मी0 अर्थात 75 फुट की दूरी पर निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जा सकता हैः—

(I) आवेदक को निर्माण / पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त निजी खर्चे से दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा।

(II) इस प्रकार की कोई भी स्थायी व अस्थायी संरचना नही की जायेगी, जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।

(III) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बहाव इस प्रकार करना होगा कि पानी बिना अवरोध के सीधा नाली में ही आये। किसी भी दशा में नाली को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आये।

5. मानचित्र में दिये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में अथवा उल्लिखित किन्ही भी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में आपत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं लो0नि0वि0 के समस्त निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रखरखाव मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
7. उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
8. बफर स्ट्रिप का निर्माण आई0आर0सी0 मानक के अनुसार कम से कम 3 मी0 चौड़ी एवं 12 मी0 लम्बी होनी चाहिये।
9. बफर स्ट्रिप एवं रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की बाउन्ड्री के बीच की दूरी दोनो तरफ कम से कम 9.00 मीटर होनी चाहिये।
10. रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) के पहुँच मार्ग में 150एम0एम0 जी0एस0बी0, डब्लू0बी0एम0 ग्रेड—II, डब्लू0बी0एम0 ग्रेड III, प्रत्येक 75 एम0एम0, 50 एम0एम0 बी0एम0 तथा 25 एम0एम0 एस0डी0बी0सी0 का न्यूनतम पेवमेण्ट कम्पोजीशन होना चाहिये।

D:\HIMANSHU KATHURIA\...Chief Office Letter.DOC

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

22.05.2018

11 रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के प्रवेश एवं निकास द्वार पर स्लैब कलवर्ट जिसमें लोहे की ग्रेटिंग लगी होनी चाहिये का निर्माण मानक के अनुसार कराना होगा, जिसमें रिटेल आउटलेट पहुँच मार्ग पर आने वाले पानी का डिस्पोजल सुगमता से हो सके।

12 मार्ग पर 300 मीटर की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) नहीं होना चाहिये।

13. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का पेंटेड एरिया का लेविल सड़क के पेंटेड सतह के मध्य लेबिल से 0.50 मीटर नीचे होना चाहिये।

14 रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि, आर0ओ0डब्लू0 एवं बिल्डिंग लाइन के बाहर होना चाहियें तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।

15 भविष्य में यदि सड़क का चौड़ीकरण होता है और विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है तो आवेदक को किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

16. उ0प्र0 रोड साइड भूमि नियंत्रण अधियिम 1964 की धारा–7(II) के अन्तर्गत नगर निगम सीमा के बाहर कृषि क्षेत्र में मार्ग के बिन्दु से संलग्न मानचित्र के अनुसार बाउण्ड्रीवाल 15.24 मीटर (50 फिट) से कम दूरी पर न बनाया जाये।

17. प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भूस्वामी दर्ज होने अथवा भूस्वामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज–डीड के निष्पादित किये जाने का सत्यापन (यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाये। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा0 न्यायालय में यदि कोई वाद/मुकदमा लम्बित हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कोई विचार न किया जाये।

18 रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड/सूचना पट/काशन बोर्ड, अग्निशमन यन्त्र इत्यादि लगवाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाये।

19 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापित प्रभावित न किया जाये।

20. जल–मल निकासी मार्ग की तरफ न किया जाये तथा निर्माण सामग्री मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाये।

21. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि नहीं लगाये जायेंगे।

22. प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।

23. लो0नि0वि0 की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रूप में उपभोग होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू–स्वामी/पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

24. प्रस्तावित निर्माण कार्य IRC:12-2009 (Guideline for Access, Location and Layout of Roadside Fuel Station and Sub Station) के प्राविधानों/विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाये। यदि IRC:12-2009 में दिये गये विशिष्टियों/मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

25. उक्त के अतिरिक्त शा0सं0 RW/NH/19-DO-III दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर–5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) मात्र एकमुश्त लाइसेन्स के रूप में जमा करने तथा 5 प्रतिशत जो मुबलिक रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) है। मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के डीलर के नाम से शपथ पत्र ले लिया जाये।

25. उक्त के अतिरिक्त शा0सं0 RW/NH/19-DO-III दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर–5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) मात्र एकमुश्त लाइसेन्स के रूप में जमा करने तथा 5 प्रतिशत जो मुबलिक रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) है। मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के डीलर के नाम से शपथ पत्र ले लिया जाये।

संलग्न–मानचित्र– दो प्रति में।

(एच0एन0 पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि:– 1. अधीक्षण अभियन्ता, कन्नौज–फर्रूखाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, कन्नौज को उनके पत्रांक 106सी0/35सी0–क0फ0वृ0/17–18 दिनांक 19.01.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फतेहगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

22.03.2018